क्रमांक 5321-3 एस-75/16049

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में

(1) हरियाणा के सभी विभागाध्यक्ष तथा

(2) आयुक्त अम्बाला तथा हिसार मण्डल ।

दिनांक, चण्डीगढ़, 5 जून, 1975 ।

विषय :—विभागाध्यक्षों (अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों को छोड़कर) तथा लोक निर्माण विभाग में अधीक्षक इन्जीनियरों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों बारे ।

महोदय,

मुझे यह निदेश हुआ है कि मैं आपका ध्यान उपरोक्त विषय पर इस विभाग के परिपत्र क्रमांक 3461-3 एस 74/12910, दिनांक 3 जून, 1974 की ओर दिलाऊं और बताऊं कि सरकार के ध्यान में आया है कि कुछ विभागों द्वारा उपरोक्त परिपत्र द्वारा जारी की गई हिदायतों को ठीक प्रकार(Interpret) नहीं किया जा रहा है तथा मुख्य मन्त्री को यह गोपनीय रिपोर्टस प्रस्तुत करने से पहले विभागीय मंत्री द्वारा रिमार्कस दर्ज नहीं किए जा रहे हैं । मुझे यह स्पष्ट करने का निर्देश हुआ है कि अधीक्षक इन्जीनियरों के मामलों में यह रिपोर्टस मुख्य मंत्री को फाईनल (Accepting authority) के रूप में भेजने से पूर्व इन्हें विभागीय मंत्री को भी (First accepting authority) के रूप में रिमार्कस दर्ज करने के लिए भेजी जाया करें । कृपया इन हिदायतों की अनुपालना के लिए नोट कर लिया जाए तथा इस पत्र की पावती भेजी जाए ।

भवदीय

उप सचिव राजनैतिक एवं सेवाएं

कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार

एक-एक प्रति वित्तायुक्त हरियाणा तथा हरियाणा के सभी प्रशासकीय सचिवों को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है ।